




NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : NCRES/79/21

Date : 4.2.2021

श्रीमान प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :- NCR में कार्यरत बुकिंग क्लर्कों को 15 मिनट का लंच ब्रेक देने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किया जाना।

संदर्भ :- (1) NCRES का PNM मद सं० 7/11/2018
(2) HQ का पत्र दिनांक 15.1.2021

महोदय,

NCRES के PNM मद संख्या 7/11/2018 पर निर्णय न हो पाने के कारण NCRES ने दिनांक 25/26 फरवरी 2020 की PNM बैठक के प्रारम्भिक भाषण के समय महाप्रबंधक महोदय को अवगत कराया कि वाणिज्य विभाग में कार्यरत बुकिंग क्लर्कों को 8 घंटे की ड्यूटी में लंच का समय नहीं मिल पाने के कारण घर से लाया गया टिफिन घर वापस चला जाता है और बिना लंच के लगातार कार्य करते रहने से कर्मचारियों में कार्य करने की क्षमता एवं ऊर्जा घट जाती है जिसका प्रभाव कर्मचारी के कार्य पर, पड़ता है और उससे रेल की छवि धूमिल होने की सम्भावना बनी रहती है।

महाप्रबंधक महोदय को यह भी बताया गया कि जब कभी कोई महिला कर्मचारी मजबूरीवश लंच बाक्स खोलकर खाना शुरू करती है तो दूषित मानसिकता के लोग मोबाइल से फोटो खींचकर क्लिप वायरल करने की धमकी देकर महिला कर्मचारी को विभिन्न प्रकार से परेशान करते हैं, इसपर महाप्रबंधक महोदय ने उसी समय NCRES को आश्वस्त किया था कि लंच ब्रेक के लिये 15-20 मिनट का समय दिया जायेगा।


इसके बाद PNM बैठक के दूसरे दिन 26 फरवरी 2020 को मद संख्या 7/11/2018 पर चर्चा के समय PCCM महोदय ने भी NCRES को आश्वासन दिया कि लंच ब्रेक के लिये 15-20 मिनट का समय मिलेगा, इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि विभिन्न मण्डलों में कार्यरत बुकिंग क्लर्कों की परेशानी को देखते हुये आगरा मंडल ने अपने पत्र दिनांक 13.8.2020 (संलग्न), झांसी मण्डल ने अपने पत्र दिनांक 20.8.2020 (संलग्न) व प्रयागराज मण्डल ने अपने पत्र दिनांक 3.9.2020 (संलग्न) द्वारा प्रधान कार्यालय को प्रस्ताव भेजा कि "ऐसे स्टेशनों पर जहाँ 02 से अधिक बुकिंग खिड़कियां संचालित की जाती हैं, उन स्टेशनों पर गाड़ियों के नियमित ठहराव व यातायात को ध्यान में रखते हुये मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक सुविधानुसार 15 मिनट का लंच ब्रेक विवेकानुसार इस प्रकार दे सकते हैं कि कम से कम एक खिड़की कार्यरत रहे व जहाँ पर केवल एक खिड़की है वहाँ भी गाड़ियों के आवागमन के अनुसार सुविधाजनक समय में 15 मिनट का लंच ब्रेक कार्यरत कर्मचारी को दिया जा सकता है"।

यह भी अवगत कराना है कि बुकिंग क्लर्क फ्रंट लाइन स्टाफ है और आम यात्रियों का सामना सबसे पहले वाणिज्य विभाग के इन्क्वायरी क्लर्क, बुकिंग क्लर्क इत्यादि से ही होता है, और दूसरी तरफ नार्थ सेंट्रल रेलवे के बुकिंग क्लर्कों को 8 घंटे की ड्यूटी में लंच एवं दैनिक क्रियाओं के लिये 15-20 मिनट का ब्रेक न मिलने से बुकिंग क्लर्कों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है व इससे उनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन होने की प्रबल सम्भावना बनी रहती है जो रेल एवं यात्री की संरक्षा व सुरक्षा की दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

अतः NCRES का अनुरोध है कि आम जनता एवं कर्मचारी हित में PNM मद संख्या 7/11/2018 के सम्बन्ध में जारी पत्र दिनांक 15.1.2021 (संलग्न) पर आप पुनर्विचार करने की कृपा करे और आम जनता तथा कर्मचारी हित में प्रयागराज, झांसी व आगरा मण्डल के Sr. DCM को दिशा-निर्देश जारी करे, ताकि मण्डलो में कार्यरत बुकिंग क्लर्कों को 8 घंटे की ड्यूटी में भोजन व दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के लिये 15-20 मिनट का ब्रेक मिल सके और वे तनावमुक्त होकर आम जनता की सेवा कर सकें जिससे रेलवे की छवि में और सुधार हो सके।

कृपया कृत कार्यवाही से NCRES को अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्न : प्रधान कार्यालय का पत्र दिनांक 15.1.2021


(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय,
ई-ब्लॉक, चंबल परिसर,
सूबेदारगंज, प्रयागराज।

No.53-C/सभा/NCRES/प्रा.भा.
प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी
उत्तर मध्य रेलवे
प्रयागराज

दिनांक: 15.01.2021

विषय: NCR में कार्यरत बुकिंग क्लर्कों को 15 मिनट का लंच ब्रेक देने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किया जाना।
संदर्भ: पत्रावली संख्या 797-E/MPP/Lunch Break/BC (UTS)/loose

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि बुकिंग क्लर्कों को 15 मिनट का लंच ब्रेक देने के सम्बन्ध में HOER में कोई प्रावधान नहीं है।

साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि अनारक्षित टिकटों की प्रकृति आरक्षित टिकटों से सर्वथा भिन्न होती है। अनारक्षित श्रेणी वाला यात्री गाड़ी प्रारम्भ होने के कुछ मिनट पूर्व ही स्टेशन आता है एवं टिकट प्राप्त कर यात्रा करता है। अतः अनारक्षित श्रेणी का टिकट वितरण 24 घंटे जारी रहता है जिससे कि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। अनारक्षित टिकट खिड़की को बन्द करने पर यात्रियों को असुविधा होगी एवं जन शिकायत बढ़ने के साथ-साथ law & order की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि बुकिंग पर्यवेक्षक हर स्टेशन पर उपलब्ध नहीं है और छोटे स्टेशनों पर प्रायः एक ही खिड़की उपलब्ध होती है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उक्त प्रावधान करना दुष्कर होगा।

(एम. एन. ओझा)

प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक

प्रतिलिपि:

✓ महामंत्री/ NCRES/उत्तर मध्य रेलवे/प्रयागराज- आपके पत्र संख्या 281/ NCRES/20
दिनांक 23.12.2020 के संदर्भ में।